

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश-पत्रक ता०..... से..... तक

जिला-बोकारो, वाद संख्या...../2011-2012(शिविर न्यायालय)

केस का प्रकार- मापी। अगिलेख सं० 13/2014

देश की कम सं० और सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
30.11.13	आवेदक महेश पाण्डे, ग्राम+पो०-तारानारी थाना-नावाडीह अंचल चन्द्रपुरा जिला-बोकारो, झारखण्ड ने आवेदन पत्र देकर निम्नांकित भूमि का मापी कर सीमांकन कराने का अनुरोध किया गया है:- <table><tr><th>मीजा</th><th>थाना न०</th><th>खाता न०</th><th>प्लॉट न०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>तारानारी</td><td>103</td><td>42</td><td>1946</td><td>0 10 50</td></tr></table>	मीजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	1	2	3	4	5	तारानारी	103	42	1946	0 10 50	28/5/14 8/10/14.
मीजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा													
1	2	3	4	5													
तारानारी	103	42	1946	0 10 50													
16.12.13	हल्का कर्मचारी का आदेश दिया जाता है कि राजस्व कागजातों का जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा। अभिलेख उपस्थापित राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि खाता न० 42 प्लॉट न० 1946 मध्ये रकबा 0.10 एकड़ रैपती खाते है जो अमिलाषा देवी,पति-महेश पाण्डे नामे केवाला सं० 303 दिनांक-17.04.2012 द्वारा खरीदगी से प्राप्त हुआ है। ज०स०-80/7 मे रसीद कटती है। अमीन मापी की फीस जमा कर मापी की अनुमति दी जा सकते है। अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।																

अगिले २४ उपस्थानीय। अभीत ३५
 प्रतिवेदित किया गया है कि ३
 वर्गित शक्ति की जाती है २ एक
 दिन का समय लग सकता है।

नमस्कार अ आपी जीव
 जगा करे है- आकषर की इतिहास
 ४८। मापी ३ में सेवा करने, जलेश करने
 कुला करने, दिव्य करने, गणेश करने, भक्ति करने
 मोला करने, रोहित पावन के आदि। अपल अधिकारी
 काया अथवा १५० १८ रा. है, अपल अधिकारी
अपल अधिकारी
अपल अधिकारी

10-4-2014

उभय पक्षों की ओर से राजनीति गई है।
 दोनों पक्षों ने आप आपने-आपने पक्ष में
 अंगजत अंगुत किया।

दोनों पक्षों के पुनः। अगले
 सुनवाई दिनांक २४/५/१४ के रखे जाय।

अपल अधिकारी
अपल अधिकारी
अपल अधिकारी

२४/५/१४

प्रधान लक्ष्य
 विस्तृत विवरण
 २४/५/१४

पुनः उभय पक्षों से पुनः। अपल में आपी जीव
 जगा कर इतिहास है।

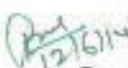
लक्ष्य
 अपल अधिकारी
 अपल अधिकारी

अपल अधिकारी
 अपल अधिकारी

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी तारीख सहीत
	उभय पक्षों को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि विवादित प्रतीत होता है। टाइटिल सूट के लिए सक्षम न्यायालय में जाने हेतु दोनों पक्ष स्वतंत्र है। तदनुसार उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित  अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।  अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा। अभिलेख अन्वयित। अनुसूचित पदाधिकारी, बोकारो (तेजपुर) के पत्र सं- 325/40 दिनांक- 8-8-14 के द्वारा जी. ए. ए. व. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रपुरा के अन्तर्गत पर आने निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने दृष्टि में पत्र हुआ है जिसका अवलोकन किया। पत्र पर पर के संश्लेषण के बाद, यद्यपि उक्त से जी. ए. व. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आने की (कोई जमा करने हुए) अनुसूचित किया गया है। आवेदन के आदेश दिया जाता है कि वे अंचल अदालत में आगे प्रेषित जमा कर को प्रस्तुत करें।  अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।	

21-8-14

~~अपल अमीन से~~

आवेदक श्री गुरुदेव पासेपरी कोटह 750/- रुपये
का नामित एसी अमासिमाजना है।

तदनुसार पूरना निगम है।

21/8/14
अपल अमीन
चण्डप।

15/9/14

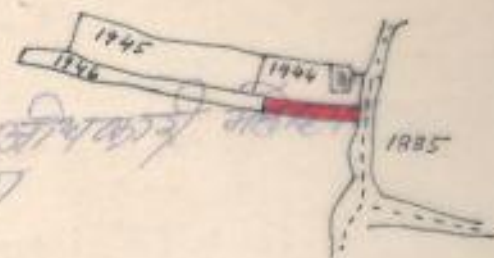
अपल अमीन का आवेदन प्राप्त हुआ जिसका
अवलोकन किया। अमीन द्वारा अपने आवेदन में
उल्लेख किया है कि आदमी (विपक्षियों के) पर
बल पर उपस्थित नहीं है एवं माफी देने के
आगे के अर्थोपार्जन करने की आवश्यकता नहीं
है। अतः आदमी के हस्तक्षेप के अभाव
में अगली तिथि को माफी देने का अनुबंध
किया गया है। अगली तिथि को निश्चित रूप से
माफी देने का पूरना निगम है। अतः
निष्कर्षित किया 8/9/14 को विपक्षी उपस्थित
नहीं होने के लिये अंतिम एसी पर नाम
है कि मापना दिनांक 8/9/14 से पूर्व।

15/9/14
अपल अमीन
चण्डप।

नजरी नक्शा

ग - ताराकारी
गन - 133
ज - पन्द्रश
जो - जोकारी
माना 16' = 1 मील

नोट:- जी मीत उभितारा देवी पीत महेश
पाडेय का मूसी का नक्शे पर लाल
रंग से दर्शाया गया है।



खालाना 42 लोह नं. 1946 रुकवा 0.10 एं. मोहरा पोडेय पीत 20 रुक मुसुदयाल ज
नजरी के खालाना नं. 42 लोह नं. 1946 रुकवा
का मापी प्रतिवेदन के संबंध में।

प्लानो
21.10.14 माताशाम
अ. अमीन ह. कर्मा
पन्द्रश कर्मा
आपोंक 689 दिनांक 17-9-2014
साथ में ह. कर्मा अस्मक अहमक के साथ 8-10-14 मोजा
हामें खाला पूर मयम पक्ष एवं निमित्त पक्ष निमित्त
हामें खाला पूर मयम पक्ष एवं निमित्त पक्ष निमित्त

सेवा में,

जिमान अंचल अधिकारी महोदया
- पन्डूरा

विषय :- श्री महेश पाण्डेय 190 ^{वर्ष} एक पुरुषमाल पाण्डेय
नारी के स्वाम नं 42 लोह नं 1946 रकवा 0
का मापी प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराज

कार्या के श्रापंक 689 दिनांक 17-9-2014 के अंतर्गत
आर में एक कर्म अस्मक अहमद के साथ 8.10-14 मौजा गांव
गये। स्थल पर प्रथम पक्ष एवं निहित पक्ष उपस्थित थे। तब
के सीखिया, सींगीत एवं शीमण पंच उपस्थित थे। तथा च
धाना के प्रमाण उपस्थित थे। सभी के उपस्थिति में न्याय
संबंधित कारवाय का अवलोकन किया गया।

जांच के क्रम में पाया कि उक्त भूमी श्री मीन गांगी के
वर्तमान महारा के होशल है जिसका दस्तावेज नं 4787 दिनांक
86.10-1991- स्वाम नं 42 लोह नं 1946 है वान पत्र का क्रम नं
नं 11 सन 1999 पेंच नं 576 से 578 तक है। उनके द्वारा श्री मीन
हैपी प्रीत महेश पाण्डेय सा. नारा नारी के दिनांक 9.10-2013
दस्तावेज नं 1031 के द्वारा शिखी और स. सेनु दाह द्वारा जारी

सभी लोगों के उपस्थिति में उक्त भूमी का मापी
उक्त भूमि वर्तमान में खाड़ी परती के रूप में अवस्थित है।
को मापी कर चारों कोना में पत्थर गडवा कर निहित
दिखा गया।

अतः मापी प्रतिवेदन के साथ ही प्रीत नय्या के
उचित कर्मवाही हेतु समर्पित।

निवेदक राजन

24/10/14

अ. अ. अ. अ.
- पन्डूरा